

सं०सं०-18(प्र०को०)/लोक०-01-01/2015

96 (3) 0 (3) 0

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी प्रभारी पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।  
सभी नियंत्री पदाधिकारी,  
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 25.06.19 .

विषय :- परिवाद संख्या-2/लोक(स्वा०)-12/2013 में दिनांक-01.02.2019 को माननीय लोकायुक्त द्वारा पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई करने के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-48(प्र०को०)दिनांक-29.03.2019 का कृपया निदेश किया जाय। माननीय लोकायुक्त, बिहार पटना द्वारा परिवाद सं०-2/लोक(स्वा०)-12/2013 में दिनांक-01.02.2019 को पारित आदेश के क्रम में कर्मचारियों/पदाधिकारियों का दिनांक-30.06.2019 तक लंबित ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/डी०ए०सी०पी० के सभी मामलों को शून्य प्रतिवेदन लोकायुक्त कार्यालय को भेजा जाना है। उक्त वाद की सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-29.07.2019 को निर्धारित की गयी है।

अभी तक विषयांकित प्रतिवेदन आपके स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है। यह खेदजनक के साथ अनुशासनहीनता का द्योतक है। यह माननीय लोकायुक्त के आदेश की अवहेलना भी है जिसके लिए आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

पुनः अनुरोध है कि अपने अपने कार्यालय के अधिनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों को दिनांक-30.06.2019 तक ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/डी०ए०सी०पी० के लंबित मामलों की संख्या शून्य कर प्रतिवेदन लोकायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

विश्वनाथभाजन

  
25.6.2019  
(अनिल कुमार)